# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/23)

कुलदीप पूनियां पुत्र जगदीश जाति जाट (पुनिया) निवासी हरपालू कुशाला तहसील राजगढ जिला चूरू।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू

**रेस्पोडेंट्**

**उपस्थितः** 1. श्री प्रहलाद जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2 .श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 29.03.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 16.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट पेश कर आबादी भूमि खं. नं. 98/66 तादादी 13 बीधा 16 बिस्वा गै. मु. आबादी वाके रोही हरपालु कुशाला तहसील राजगढ जिला चूरू के हाल खं. नं. 95 तादादी 3.51 हैक्टेयर गै. मु. आबादी वाके रोही हरपालु कुशाला चूरू के नक्शा एक्स में तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल आर एक्ट इस आशय का पेश

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया कि गत खसरा सं. 98/66 तादादी 20 बीधा रोही हरपालू कुशाला तहसील राजगढ में से 12/ 1/2 ऐकड़ भूमि आबादी मे संपरिवर्तन करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत बिजावास द्वारा दिनांक 04.01.1983 को ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन करवाया था जिस प्रस्ताव को जरिये तहसीलदार राजगढ जिला कलक्टर चूरू को भिजवाया गया था, बाद जांच जिला कलक्टर चूरू ने खसरा सं. 98/66 तादादी 13 बीधा 16 बिस्वा खसरा सं. 65 तादादी 6 बीधा 04 बिस्वा कुल 20 बीधा गोचर भूमि से आबादी भूमि मे संपरिवर्तन दिनांक 30.01.1987 जारी कर ग्राम पंचायत बिजावास तहसीलदार राजगढ को भिजवाया गया, जिस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण सं. 57 ग्राम हरपालू कुशाला दर्ज कर तस्दीक किया गया, उक्त नामान्तकरण कें द्वारा खं. सं. 98/66 मी. तादादी 13 बीधा 16 बिस्वा गैर मु. आबादी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड नक्शा मे पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम के विपरित हाल पैमाइश के कर्मचारियो अधिकारियो ने गलत रूप से नये पैमुद नक्शा में दर्शाया गया है जो मुताबिक प्रस्ताव ग्राम पंचायत व आवटन आदेश के विपरित है। जिस प्रार्थना पत्र पर मातहत न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट की मौका व रिकार्ड की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये व बिना रेस्पोडेन्ट को जवाब का अवसर दिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2021 को पारित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 9762/2020 राजेश कुमार बनाम स्टेट मे पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 के अनुसार गैर मु. गोचर,पायतान आदि भूमि को अन्य उदेश्य के लिये संपरिवर्तन नही किया जा सकता है का सहारा लिया है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय गैर मु. गोचर, पायतान आदि भूमि को अन्य उदेश्यो के लिये संपरिवर्तन नही करने के लिये जारी किया गया है, वर्तमान प्रकरण में भूमि की किस्म परिर्वतन का कोई आदेश पारित करना अपेक्षित नही था बल्कि पूर्व के जिला कलक्टर के आवटन आदेश के अनुसार दर्ज नामान्तकरण व उसके आधार पर राजस्व नक्शा की पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम के अनुसार वर्तमान

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पैमाइश द्वारा पैमुद नक्शा मे आवंटित भूमि के अशुद्ध नक्शा को शुद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन था जिस शुद्धी आदेश के पारित होने से राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेश किसी भी रूप से प्रभावित नही होते है जिस कारण मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के खिलाफ जारी किया गया होने से काबिल अपास्त है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त कर गत खसरा सं. 98/66 तादादी 13 बीघा 16 बिस्वा रोही हरपालू कुशाला तहसील राजगढ हाल पैमाइश में ख. 95 तादादी 3.51 हैक्टयर रोही हरपालू कुशाला में पैमुद हुए है का नक्शा जिला कलक्टर चूरू के आवटन आदेश की पालना में दर्ज नामान्तकरण व उसके आधार पर पड़त पटवार के नक्शा में की गई तरमीम के अनुसार वर्तमान पैमाइश में पैमुद खं. 95 का नक्शा शुद्व करने के आदेश फरमाये जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है, उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई गलती नही की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 16.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ को ना तो तलब किया गया ओर ना ही उसका जवाब लिया गया बल्कि प्रार्थना पत्र को दर्ज किये जाने के साथ ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि कानूनी प्रक्रिया की पालना नही करते हुए पारित किया गया है साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो पर गौर नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी राजगढ को इस

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण मे पार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो का परीक्षण कर उभय पक्ष को सुनकर समुचित निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर